

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल

चयन/भर्ती परीक्षाओं के संबंध में विभाग से प्राप्त किये जाने वाली वांछित जानकारी का मांग पत्र

कार्यालय का नाम	विवरण	विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक अधिकारी का नाम	नोडल अधिकारी का नाम
	पद का नाम		
	दूरभाष नंबर		
	मोबाईल नंबर		
	फेक्स नंबर		
	इमेल		

1. पीईबी द्वारा केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावेगे, जिसके साथ कोई भी दस्तावेज प्रमाण पत्र संलग्न कर नहीं मंगाये जायेंगे, समस्त मूल दस्तावेजों/मूल प्रमाण पत्रों का परीक्षण/सत्यापन विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जावेगा।
2. पदों पर भर्ती हेतु शासन से स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। स्वीकृति/अनुमोदन की सत्यापित प्रति संलग्न की जायें।
3. निर्धारित प्रारूप नियमों के प्रत्येक पृष्ठ पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर व सील सहित प्रति (हार्डकापी) व सॉफ्ट कापी (मंगल फोट में) में आवश्यक रूप से उपलब्ध करायें।
4. मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित विभागीय भर्ती नियम/गजट की सत्यापित प्रति संलग्न की जाये।
5. आवेदक के लिए आवश्यक शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावहारिक अर्हता एवं पद कार्यपालिका अकार्यपालिका का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है।
6. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार आवेदक की आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति में किया जाना है।
7. मध्यप्रदेश के राजपत्र दिनांक 04 अक्टूबर 2013 की कंडिका 16 (3)(क) अनुसार बोर्ड द्वारा पदों संख्या एवं आरक्षण तालिका की गणना नहीं की जाएगी। आरक्षण रोस्टर मध्यप्रदेश राज्य के राजपत्र क्रमांक 530 दिनांक 24.12.2019 के अनुसार (सामान्य श्रेणी, ई.डब्ल्यू.एस.-10 प्रतिशत, एस.सी., एस.टी., एवं ओ.बी.सी.-27 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिक, एवं निःशक्तजनों का वर्गीकरण) पदों की गणना में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो पीईबी इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
8. रिक्त पदों का पदवार विवरण (परिशिष्ट-1) एवं पदवार आरक्षण तालिका (परिशिष्ट-2) संलग्न अनुसार अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
9. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 2030/चार/नि-2 दिनांक 22.06.63, 750/1166/चार, दिनांक 08.08.94 के अनुसार लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय का भुगतान ई-पेमेन्ट के माध्यम से विभाग द्वारा किया जायेगा। इस हेतु आवश्यक जानकारी विभाग पीईबी से प्राप्त करेगा।
10. विभाग के प्रस्ताव की आरक्षण तालिका में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक/सी-5-2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2018 एवं दिनांक 25 जुलाई 2018 अनुसार संविदा कर्मचारियों के लिये 20 प्रतिशत पदों को आरक्षित रखा गया है।



- P-8
11. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 07-11/2019/आप्र/एक भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार 10 प्रतिशत आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) हेतु आरक्षित रखा गया है।
  12. ओ.बी.सी. श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये जारी राजपत्र क्रमांक 349 दिनांक 14 अगस्त 2019 के अनुसार 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाना है, परन्तु वर्तमान में ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में कुछ याचिकाएं लंबित है। उन याचिकाओं में पारित किए जाने वाले अंतिम निर्णय अनुसार विभाग पालन करेगा।
  13. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी 3-8/2016/1/3 भोपाल दिनांक 04 जुलाई 2019 के अनुसार आयु सीमा का पालन किया गया है।
  14. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दृवियांगजनो हेतु जारी आदेश क्रमांक एफ-8/4/2001/आप्र/एक (पार्ट) भोपाल दिनांक 03.07.2018 पालन किया गया है।
  15. विभाग के पदों की आरक्षण तालिका में सहमति के उपरांत अनुसूचित जनजाति के पदों को छोड़कर किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जावेगा। सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी आदेश अनुसार बैगा, सहारिया एवं भारिया जाति के अभ्यर्थियों की भर्ती उपरांत अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में ही संशोधन (उक्त जातियों की नियुक्ति के पश्चात् पदों में कमी) स्वीकार किये जावेंगे। यदि उक्त संशोधन में पदों में वृद्धि प्रेषित की जाती है तो उन पदों को आगामी परीक्षा में सम्मिलित किया जावेगा।
  16. विषम परिस्थिति में परीक्षा आयोजन उपरांत विभाग के किसी पद विलोपित अथवा परीक्षा निरस्त करावाने पर संबंधित विभाग को परीक्षा के संपूर्ण व्यय (यथा प्रति अभ्यर्थी पीईबी द्वारा किया गया परीक्षा का व्यय, अभ्यर्थी का परीक्षा शुल्क, विज्ञापन में हुआ व्यय इत्यादि) का वहन करना होगा।
  17. अन्य आवश्यक विवरण (यदि विभाग बताना चाहें) .....

### घोषणा-पत्र

विभाग ..... द्वारा घोषणा की जाती है कि प्रस्तुत मांग पत्र राज्य शासन द्वारा जारी नियमानुसार राजपत्र, नियामों एवं उपरोक्त अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है एवं विभाग उपरोक्त अनुदेशों में वर्णित तथ्यों के लिए उत्तरदायी रहेगा।

स्थान :-

दिनांक :-

विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर  
नाम एवं पदनाम  
पदनाम सहित मोहर



## रिक्त पदों का पदवार विवरण

क्र	पदनाम	सेवा समूह	भर्ती का प्रकार			कार्यपालिक / अकार्यपालिक	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	अनारक्षित पद		आरक्षित पद								योग			
			सीधी भर्ती	सीधी भर्ती बैकलॉग	संविदा				ओपन	महिला	ई डब्लू एस.		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछडा वर्ग			भूतपूर्व सैनिक		
											ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		ओपन	महिला	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.																						
2.																						
3.																						
4.																						

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा द्वियांगजनो हेतु जारी आदेश क्रमांक एफ-8/4/2001/आप्र/एक (पार्ट) भोपाल, दिनांक 03.07.2018.पालन करते हुये द्वियांग के पदो को प्रत्येक श्रेणी के ओपन में समाहित कर आरक्षण तालिका प्रस्तुत करे ।



पद का नाम ..... पदवार आरक्षण तालिका (प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक भरा जावेगा)

क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		दिव्यांग	योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अनारक्षित (UR)					<p>निशक्तजनों की कुल .....रिक्तियों में से ..... VH                      .....EH .....LD.....एवं.....MD                      निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये                      चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक                      श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।</p>	
2.	ई.डब्लू.एस.						
3.	अनुसूचित जाति (SC)						
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)						
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)						
योग -							

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा अधि./कर्म. हेतुजारी आदेश क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 भोपाल, दिनांक 05.06.2018. के पालनार्थ 20 प्रतिशत संविदा कर्मचारी हेतु प्रथक से आरक्षण तालिका पत्रक प्रस्तुत करे ।